FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प जैतीवास

वादीगण **बनाम**

प्रतिवादी

श्रीमती प्रेम कंवर राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–168/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.11.2021	प्रार्थी श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह, किरण देव पुत्र भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह, अर्चना पुत्री भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह जातियान राजपुरोहित निवासीगण जैतीवास तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर **कैम्प जैतीवास** में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 7 रकबा 2.5888 हैक्टेयर में संयुक्त खातेदार भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह पुत्र मांगीलाल की 1/5 वॉ हिस्सा की आयी हुयी है। वादीगण के पति/पिता भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह का देहान्त दिनांक 23.11.2020 को हो चुका है। वादीगण के पति/पिता भंवरसिंह व भूरसिंह एक ही व्यक्ति है। वादी के पति भंवरसिंह व भूरसिंह के एक पुत्र किरणदेव सिंह व पुत्री अर्चना है। भूमि पर कब्जा व काश्त वादीगण का चला आ रहा है। वादी के पति भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह का देहान्त हो गया, इस कारण वादी के पति की भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर वादीगण को बताया कि आपके पति/पिता का जमाबंदी में भूरसिंह नाम लिखा हुआ है तथा आपके स[illegible] नाम लिखा हुआ है इस कारण फौतेदगी नामान्तरक[illegible] स्वी[illegible] नहीं किया जा सकता है इस कारण आप सक्षम न्यायालय [illegible] लेकर आओ तब ही आपके पति/ [illegible] नामान्तरकरण स्वीकृत किया जायेगा।इस कारण वादीगण को यह [illegible] पेश करना पड़ रहा हैं। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में भूरसिंह पुत्र मांगीलाल के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

पुत्र   मांगीलाल की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी श्रीमती प्रेम कंवर ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी श्रीमती प्रेम कंवर का आधार कार्ड, आधारकाड किरणदेव, आधारकार्ड अर्चना, आधारकार्ड भंवरसिंह, ड्राईविंग लाईसेंस भूरसिंह, मृत्यु प्रमाण पत्र भूरसिंह, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 खसरा नम्बर 07 (खाता संख्या नया 25) आदि को पेश किये है। तथा वादी के समर्थन में बयान गवाह अमराराम पुत्र लादुराम जाति मेघवाल निवासी जैतीवास (पूर्व प्रधान पंचायत समिति बिलाड़ा) के कलमबद्ध कराये गये। कार्यालय ग्राम पंचायत जैतीवास

द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरे पति/पिता का नाम उपरोक्त खातेदारी भूमि में भूरसिंह गलत लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण हमारा फौतेदगो नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो रहा है। हम कोई भी भूमि के सम्बंध में सरकारी सहायता प्राप्त करने से वंचित हो रहे है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी के पति/पिता भंवरसिंह के बजाय भूरसिंह दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 07 रकबा 2.5888 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में भूरसिंह पुत्र मांगीलाल के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह पुत्र मांगीलाल की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम जैतीवास में खुले में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प जैतीवास
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
1. श्रीमती प्रेम कंवर पत्नी भंवरसिंह 2. किरणदेव पुत्र भंवरसिंह 3. अर्चना पुत्री भंवरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 168/2021

निर्णय **दिनांक** :– 24.11.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इ[illegible] हाजरी वादीगण स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या–1 सरकारी पैरोकार [illegible] पे”ा होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम जैतीवास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 07 र[illegible] 2.5888 हैक्टेयर की संयुक्त खातेदारी भूमि में भूरसिंह पुत्र मांगीलाल के स्थान पर भंवरसिंह उर्फ भूरसिंह पुत्र मांगीलाल की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की

घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.11. 2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:04:10 IST
Reason: SelfAttested